क्रम संख्या– 81　　　　पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0–30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, मई 14, 2018 ई0
बैशाख 24,1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 234 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2018
देहरादून, 14 मई, 2018

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2017 को दिनांक 11 मई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2018 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018
{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्याः 28 वर्ष 2018}

धर्म स्वतंत्रता उपबंध करने की दृष्टि से मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए राजी करने के निषेध और उससे आनुषांगिक विषयों के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	**1.**	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। (3) यह ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाय।
परिभाषाएं	**2.**	इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– (क) ''प्रलोभन'' से किसी उपहार या परितोषण या भौतिक लाभ के रूप में किसी प्रलोभन का प्रस्ताव, चाहे वह नकद में या रोजगार, किसी धार्मिक निकाय द्वारा चलाये जा रहे प्रतिष्ठित स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, सुलभ धन, बेहतर जीवन शैली, दैवीय कृपा या अन्य किसी रूप में हो, सम्मिलित एवं अभिप्रेत है; (ख) ''धर्म परिवर्तन के लिए राजी कराना'' से किसी व्यक्ति को एक धर्म को छोड़ने और किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने के लिए सहमत कराना, अभिप्रेत है; (ग) ''बल'' में बल का प्रदर्शन या धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने की धमकी देना या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए राजी कराना या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पति को सम्मिलित कर देवीय भाजन या समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देना सम्मिलित है; (घ) ''कपटपूर्ण'' में किसी प्रकार का मिथ्या निरूपण या कोई अन्य कपटपूर्ण युक्ति सम्मिलित है; (ड.) ''प्रपीडन''से मनोवैज्ञानिक दवाब या भौतिक दवाब के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरूद्व कार्रवाई करने को बाध्य करना जिसमें शारीरिक क्षति या धमकी सम्मिलित है, अभिप्रेत है; (च) ''असम्यक असर'' से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अंतःकरण के विरूद्व प्रयोग करना या ऐसे प्रभाव का प्रयोग करना जिससे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्यवाही करने के लिये अन्य व्यक्ति द्वारा दवाब डालना या प्रभाव में लेना अभिप्रेत है;

		(छ) ''धर्म परिवर्तन'' से किसी एक धर्म को छोड़ना और किसी अन्य धर्म को स्वीकार करना अभिप्रेत है; (ज) ''अवयस्क'' से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; (झ) 'धर्म' से भारत में या उसके किसी भाग में प्रयुक्त किसी संगठित रीति पर आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या परम्पराओं के अधीन यथा परिभाषित धर्म अभिप्रेत है; (ञ) ''धार्मिक पुजारी'' से किसी धर्म का कोई पुजारी जो संस्कारों की विशुद्धि या किसी धर्म के परिवर्तन के किसी समारोह का सम्पादन करता है चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाय, यथा पुजारी, पंडित, मुल्ला, मौलवी, फादर इत्यादि अभिप्रेत है; (ट) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम मे प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो भारत या उत्तराखण्ड राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं।
मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, कपटपूर्ण, असम्यक् असर, प्रपीडन, प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का प्रतिषेध	**3.**	कोई व्यक्ति मिथ्या निरूपण, बल, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन के प्रयोग द्वारा या किसी कपटपूर्ण माध्यम द्वारा या विवाह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसे धर्म परिवर्तन के लिये उकसायेगा या उसका षडयंत्र करेगा; परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व धर्म में वापस आता है तो ऐसा कृत्य इस अधिनियम के अधीन एक धर्म से दूसरे धर्म का परिवर्तन नही कहा जायेगा।
धर्म परिवर्तन के प्रति परिवाद	**4.**	धारा 3 के अधीन व्यथित व्यक्ति अथवा उसके माता–पिता या भाई–बहिन द्वारा ऐसे धर्म परिवर्तन के प्रति इस आधार पर न्यायालय के समक्ष परिवाद किया जा सकेगा कि वह धारा 3 में विनिर्दिष्ट उपबंधों का उल्लंघन करता है; परन्तु, यह कि जहां व्यथित व्यक्ति अथवा उसके भाई–बहिन अट्ठारह वर्ष से कम आयु के हैं अथवा जड़ या पागल है अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने में असमर्थ है, कोई अन्य व्यक्ति, अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक से सम्बंधित है, उसकी ओर से न्यायालय की अनुमति से परिवाद कर सकेगा।
धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दण्ड	**5.**	जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी सिविल दायित्व पर प्रभाव डाले बिना, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, दंडित होगा, जो एक वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा; परन्तु, यह कि जो कोई अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सम्बंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, दंडित होगा जो दो वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य होगा	**6.**	कोई विवाह जो किसी एक धर्म के पुरूष द्वारा किसी अन्य धर्म की महिला के साथ चाहे वह विवाह के पूर्व या पश्चात स्वयं के धर्म परिवर्तन द्वारा या विवाह के पूर्व या पश्चात महिला का धर्म परिवर्तित करने के द्वारा, धर्म परिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से किया गया है, को विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरूद्व प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा या जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित नही है, वहां ऐसे मामलों के विचारण के लिए जिस न्यायालय की अधिकारिता हो द्वारा, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकेगा।
वह न्यायालय जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा	**7.**	धारा 6 के अधीन प्रत्येक आवेदन उस कुटुम्ब न्यायालय या जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित नही है, वहां ऐसे मामले के विचारण के लिए जिस न्यायालय की अधिकारिता हो, उसकी स्थानीय उस सीमाओं के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा जहां – (एक) विवाह का अनुष्ठापन हुआ था; या (दो) प्रत्यर्थी, आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के समय, निवास करता है; या (तीन) विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था; या (चार) आवेदिका होने की दशा में पत्नी, जहां वह आवेदन को प्रस्तुत करने के दिनांक को निवास कर रही है।
धर्म के परिवर्तन के पूर्व की उद्घोषणा और शुद्वता संस्कार के सम्बंध में पूर्व रिपोर्ट	**8.**	(1) कोई व्यक्ति जो अपना धर्म परिवर्तन करने का इच्छुक है, वह कम से कम एक माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष विहित प्ररूप में यह उद्घोषणा करेगा कि वह स्वयं की इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करने का इच्छुक है और उसने अपनी स्वतंत्र सहमति दी है तथा इसमें बल, प्रपीडन, असम्यक असर या प्रलोभन सम्मिलित नही है। (2) धार्मिक पुजारी जो शुद्वता संस्कार या किसी धर्म से अन्य धर्म में किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के लिए समारोह प्रायोजित करेगा उसकी सूचना विहित प्ररूप पर जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को, जहां ऐसा समारोह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, एक माह पूर्व देगा। (3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) और (2) के अधीन प्राप्त सूचना के पश्चात उक्त प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के सम्बंध में पुलिस के माध्यम से जांच सम्पादित करेगा। (4) उपधारा (1) और / या उपधारा (2) के उल्लंघन में उक्त धर्म परिवर्तन का प्रभाव अवैध तथा शून्य होगा। (5) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, दंडित होगा जो तीन माह से कम नही होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी ओर वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा। (6) जो कोई उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, दंडित होगा जो छः माह से कम नही होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

अभियोजन की पूर्व स्वीकृति	**9.**	धारा 8 के अधीन किये गये किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा ऐसे अन्य प्राधिकारी जो कि उपखंड मजिस्ट्रेट के श्रेणी से निम्न न हो, जैसा कि उसे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया गया हो, की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नही किया जायेगा।
किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड	**10.**	यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है यथास्थिति उस संस्था या संगठन के मामलों का प्रभारी व्यक्ति धारा 5 के अधीन दिये गये दण्ड के अध्यधीन होगा तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात ऐसे संगठन या संस्था का तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किया गया रजिस्ट्रीकरण निरस्त किया जा सकेगा।
दान या अंशदान स्वीकार करने का प्रतिषेध	**11.**	तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति या संगठन को इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी दान या अंशदान को किसी प्रकार से देश या विदेश से प्राप्त करने की अनुज्ञा नही दी जायेगी।
अपराध के पक्षकार	**12.**	इस अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध कारित किया जाय, निम्न में से प्रत्येक अपराध के कारित करने में भाग लेने वाला समझा जायेगा और अपराध का दोषी होगा और ऐसे अधिरोपित किया जायेगा मानो कि उसने वास्तव में अपराध किया है, अर्थात– (एक) प्रत्येक व्यक्ति जिसने वास्तव में ऐसा कृत्य किया है, जो अपराध संरचित करता है; (दो) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में सक्षम बनाने या सहायता करने के उदेश्य से ऐसा कृत्य करता है या करने का लोप करता है; (तीन) प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करने में किसी अन्य व्यक्ति को सहायता करता है या उकसाता है; (चार) कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता है या उपाप्त करता है।
सबूत का भार	**13.**	इस तथ्य के सबूत का भार कि कोई धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बल, असम्यक् असर, प्रपीडन, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नही है, उस व्यक्ति पर जिसे इस प्रकार संपरिवर्तित किया गया हो, एवं जब ऐसा संपरिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा सुकर बनाया गया हो तब ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।
अपराध का गैर जमानतीय होना	**14.**	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते भी, इस अधिनियम के अधीन कारित प्रत्येक अपराध गैर जमानतीय होगा।
कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	**15.**	(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी किये जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उत्तराखण्ड सरकार आदेश द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करके ऐसे उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और ऐसी कठिनाई को दूर करना आवश्यक और समीचीन हो, कर सकेगी; परन्तु, यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आदेश नही किया जायेगा। (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश शीघ्रताशीघ्र इसे किये जाने के पश्चात राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

{उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018}

नियम बनाने की शक्ति	**16.**	(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कियान्वयन के लिए नियम या विनियम बना सकेगी। (2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसे बनाये जाने के पश्चात शीघ्रताशीघ्र विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा और राज्य विधान मण्डल द्वारा ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन होगा जैसा सत्र के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा किया जाय। (3) उपधारा (2) के अधीन किये गये उपांतरण राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और वह तद्‌पश्चात प्रभावी होंगे।

कारण तथा उद्देश्यों का कथन

भारत का संविधान के अनुच्छेद 25,26,27 तथा 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की स्ववंत्रता दी गयी है जिसमें भारत के समस्त नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता उपबंधित है। इस अधिकार का उदेश्य भारत की सामाजिक भावना को दर्शाता है। संविधान के अनुसार राज्य का कोई धर्म नही है और सभी धर्म राज्य के समक्ष समान है और राज्य किसी धर्म को किसी अन्य धर्म के सापेक्ष कोई वरीयता नही दे सकता है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी धर्म का पालन, व्यवहार और प्रचार कर सकता है।

2– अब तक धर्म संपरिवर्तन के वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों प्रकार के अनेकों मामले आये हैं। स्वभाविक रूप से ऐसी ज्वलन्त घटनाएं बहुधार्मिक समाज में, जैसा कि हमार समाज है, वाद–विवाद का विषय रही है, अन्य धर्म के कमजोर वर्गों के धर्म परिवर्तन के गुप्त एजेंडे के साथ छद्‌म सामाजिक संस्थाओं की उपस्थिति को भी देखा गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जहां सीधे–सादे व्यक्ति को प्रलोभन देकर या असम्यक असर के अधीन संपरिवर्तन किया जाता है इसी प्रकार कुछ लोगों को अन्य धर्म में परिवर्तन के लिये विवश किया गया है।

3– अद्यतन धार्मिक परिवर्तन के कतिपय मामले आये हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक हैं। वास्तव में ऐसी घटनाएं विचारणीय होती है, इस प्रकार बहु धार्मिक समाज में, जैसे हम, घटनाएं घटित होती है।

4– मिथ्या सामाजिक संगठनों की उपस्थिति में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के छिपे हुए एंजेडे द्वारा कार्यवाही की जाती है, ऐसे भी उदाहरण है जब गरीब व्यक्ति प्रलोभन या अनावश्यक दवाब के अधीन धर्म परिवर्तन कर लेते है। कुछ मामलों में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन बल पूर्वक किये गये है। एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में सम्मिलित कर अपनी संख्या को बढाने के लिए ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। लोग अपने धर्म को मिथ्या निरूपण द्वारा किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करके लड़कियों से विवाह कर रहे है और ऐसी लडकियों से विवाह करने के पश्चात वे अपने धर्म मे परिवर्तित हो जाते है। विभिन्न मामलों में यह संज्ञान में आया है कि लोग अपना धर्म किसी अन्य धर्म में केवल लड़की को प्राप्त करने के लिए परिवर्तिन कर रहे है। अभी हाल में ही इस प्रकार के मामले मा0 उच्चतम न्यायालय के साफीन जहां बनाम् अशोकन के एम तथा अन्य की विशेष याचिका (आपराधिक) संख्या 5777 वर्ष 2017 तथा रिट याचिका आपराधिक संख्या 142 वर्ष 2016 अमन वेग बनाम् मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य के प्रकरण में देखने को मिले है।

5– भारत के विभिन्न राज्यों में पूर्व से ही अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अधिनियम है, यथा उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, गुजरात, अरूणांचल प्रदेश और तमिलनाडु तथा हाल ही में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने एच ए बी सी संख्या 20 वर्ष 2017 ग्रीस कुमार शर्मा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के मामले में केवल विवाह के प्रयोजनों के लिए धर्म परिवर्तन की व्यवस्था को शर्मनाक बताया है। ऐसी घटनाएं जहां इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यून करते है,वहीं हमारे समाज के सामाजिक ताने बाने के विरूद्व है।

6– इस प्रकार यह विधेयक –

(एक) ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध बनाकर प्रतिषिद्ध करेगा जो मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा हो।

(देा) यह अवयश्क, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सम्बंध में ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए वृहत्तर दण्ड उपलबध करायेगा।

(तीन) धर्म परिवर्तन,मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक असर, प्रपीडन, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए नही किया गया है, के सबूत का भार ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति पर एवं ऐसे संपरिवर्तन व्यक्ति पर होगा।

(चार) एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक वैयक्तिक धर्म परिवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष उदघोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक असर, प्रपीडन, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए नही है।

(पांच) किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की के धर्म परिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन के लिए किये गये विवाह पर ऐसा विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा।

7— प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उददेश्यों की पूर्ति करता है।

...

The Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018

[Uttarakhand Act N0: 28 of 2018]

An
Act

to provide freedom of religion by prohibition of conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage and for the matters incidental thereto.

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-ninth year of the Republic of India, as follows:

Short title, extent and commencement	**1.**	(1) This Act may be called the Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018. (2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand. (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
Definitions	**2**	In this Act, unless the context otherwise requires: (a) "Allurement" means and includes offer of any temptation in the form of any gift or gratification or material benefit, either in cash or kind or employment, free education in reputed school run by any religious body, easy money, better lifestyle, divine pleasure or otherwise; (b) "Convincing for conversion" means to make one person agree to renounce one's religion and adopt another religion; (c) "Force" includes a show of force or a threat of injury of any kind to the person converted or sought to be converted or to any other person or property including a threat of divine displeasure or social excommunication; (d) "Fraudulent" includes misrepresentation of any kind or any other fraudulent contrivance; (e) "Coercion" means compelling an individual to act against his will by the use of psychological pressure or physical force causing bodily injury or threat thereof; (f) "Undue influence" means the unconscientious use by one person of his power or influence over another in order to persuade the other to act in accordance with the will of the person exercising such influence.

{the Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018}

		(g) "Conversion" means renouncing one religion and adopting another ; (h) "Minor" means a person under eighteen years of age; (i) "Religion" means any organized system of faith, belief, worship or lifestyle, as prevailing in India or any part of it, and defined under any law or custom for the time being in force; (j) "Religious priest" means priest of any religion who performs purification Sanskar or conversion ceremony of any religion and by whatever name he is called such as *pujari, pandit, mulla, maulvi, father etc.,* (k) The words and expressions used in this Act and not defined in it but defined in any other law for the time being in force in India or in State of Uttarakhand shall have the same meaning assigned to them respectively.
Prohibition of conversion from one religion to another religion by misrepresentation, force, fraud, undue influence, coercion, allurement or marriage	**3.**	No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from one religion to another by use of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage nor shall any person abet or conspire such conversion; Provided that, if any person comes back to his ancestral religion, shall not be deemed conversion under this Act.
Complaint to conversion of religion	**4.**	Any aggrieved person under section 3 or his parents or brother-sister may complaint to the Court of such conversion of religion on the ground that it would contravene of the conditions specified in section 3; Provided that, where aggrieved person or his brother or sister are under the age of eighteen years, or are idiot or lunatic, or are from sickness or infirmity unable to make a complaint some other person or by any other person who is related to him by blood, marriage or adoption, a complaint may be made on his behalf with the leave of the Court.
Punishment for contravention of provisions of Section 3	**5.**	Whoever contravenes the provisions of Section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than one year but which may extend to five years and shall also be liable to fine; Provided that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of a minor, a woman or a person belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

{the Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018}

Marriages done for sole purpose of conversion to be declared null and void	**6.**	Any marriage which was done for the sole purpose of conversion by the man of one religion with the woman of another religion either by converting himself before or after marriage or by converting the woman before or after marriage may be declared null and void by the Family Court or where Family Court is not established, the Court having jurisdiction to try such case on a petition presented by either party thereto against the other party of the marriage .
Court to which petition shall be presented	**7.**	Every petition under section 6 shall be presented to the Family Court or where Family Court is not established, the Court having jurisdiction to try such case within the local limits- (i) the marriage was solemnized; or (ii) the respondent, at the time of the presentation of the petition, resides; or (iii) the parties to the marriage last resided together; or (iv) in case the wife is the petitioner, where she is residing on the date of presentation of the petition.
Declaration before conversion of religion and pre-report about purification Sanskar	**8.**	**(1)** One who desires to convert his religion, shall give a declaration at least one month in advance, in the prescribed proforma, to the District Magistrate or the Executive Magistrate specially authorized by District Magistrate that he wishes to convert his religion on his own and at his free consent and without any force, coercion, undue influence or allurement. **(2)** The religious priest, who performs purification Sanskar or conversion ceremony for converting any person of one religion to another religion, shall give one month's advance notice of such conversion, in the prescribed proforma, to the District Magistrate or any other officer appointed for that purpose by the District Magistrate of the district where such ceremony is proposed to be performed. **(3)** The District Magistrate, after receiving the information under sub-section (1) and (2), shall get an enquiry conducted through police, with regard to real intention, purpose and cause of that proposed religion conversion. **(4)** Contravention of the Sub-section (1) and/or sub-section (2) shall have the effect of rendering the said conversion, illegal and void. **(5)** Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three months, but may extend to one year and shall also be liable to fine. **(6)** Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but may extend to two years and shall also be liable to fine.

{the Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018}

Prosecution to be made with the prior sanction	**9.**	No prosecution for an offence under section 8 shall be instituted by any person except by or with the previous sanction of the District Magistrate or such other authority not below the rank of a Sub-Divisional Magistrate, as may be authorized by him in that behalf.
Punishment for violation of provisions of Act by an institution or organization	**10.**	If any institution or organization violates the provisions of this Act, the person or persons in charge of the affairs of the organization or institution, as the case may be, shall be subject to punishment as provided under section 5 and the registration of the organization or institution under any law for the time being in force may be cancelled after giving reasonable opportunity of hearing.
Prohibition on accepting donation or contribution	**11.**	Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person or organization violating the provisions of this Act shall be allowed to accept any donation or contribution of any kind from within the country or abroad.
Parties to offence	**12.**	When an offence is committed under this Act, each of the following shall be deemed to have taken part in committing the offence and to be guilty of the offence, and shall be charged as if he has actually committed it, that is to say,- **(i)** Every person who actually does the act which constitutes the offence; **(ii)** Every person who does or omits to do any act for the purpose of enabling or aiding another person to commit the offence; **(iii)** Every person who aids or abets another person in committing the offence; **(iv)** Any person who counsels or procures any other person to commit the offence.
Burden of Proof	**13.**	The burden of prove as to whether a religious conversion was not effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage lies on the person so converted and, where such conversion has been facilitated by any person, on such other person.
Offences to be non bailable	**14.**	Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence committed under this Act shall be non bailable.
Power to remove difficulties	**15.**	(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government of State of Uttarakhand may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it, to be necessary or expedient for removing the difficulty; Provided, that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act. (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before State Legislature.

{the Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018}

Power to make Rules	**16.**	(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make Rules or Regulations for carrying out the provisions of this Act. (2) All Rules made under this section shall be laid before the State Legislature, as soon as may be, after they are made, and shall be subject to such modifications, as the State Legislature may make, during the session. (3) Any modification so made under sub-section (2) shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon take effect.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Right to freedom of religion is guaranteed under Articles 25, 26, 27 and 28 of the Constitution of India, which provide religious freedom to all citizens of India. The objective of this right is to sustain the spirit of secularism in India. According to the Constitution, State has no religion and all religions are equal before the State and no religion shall be given preference over the other. Citizens are free to preach, practice and propagate any religion of their choice.
2. The Constitution confers on each individual the fundamental right to profess, practice and propagate his religion. However, the individual right to freedom of conscience and religion cannot be extended to construe a collective right to proselytize; for the right to religious freedom belongs equally to the person converting and the individual sought to be converted.
3. Still, there have been umpteen cases of religious conversions, both mass and individual. Obviously, such incidents have been hotly debated, more so in a multi-religious society, like ours. The presence of pseudo-social organizations with a hidden agenda to convert the vulnerable sections of other religions has been noticed. There have been instances when gullible people have been converted by offering allurement or under undue influence. Some have been forced to convert to other religions.
4. We have come across incidents in which with an agenda to increase strength of their own religion by getting people from other religions converted to their own religion, people do marry girls of other religion by misrepresentation of their own religion and after getting marriage to such girls, they get them converted to their own religion. Several instances came in notice that people convert themselves to the other religion only for the purpose of marriage with the girl of that -religion and after marriage they got that girl converted into their own religion. Recently Hon'ble Supreme Court also took judicial notice of such instances in the cases of SLP (Crl.) No.5777 of 2017 Shafin Jahan v. Asokan K.M. & Ors. and Writ Petition (Crl.) No.142 of 2016 Aman Beg v. State of Madhya Pradesh & Ors.
5. Several States in India already have their own Right to Freedom of Religion Acts such as Orissa, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Gujrat, Arunachal Pradesh and Tamil Nadu and recently Uttarakhand High Court in the case of HABC No.20 of 2017 Girish Kumar Sharma v. State of Uttarakhand also emphasized need for Freedom of Religion Act for the State of Uttarakhand to curb sham practices of conversion only for the purpose of marriage. Such incidents not only infringe the freedom of religion of the persons so converted but also militate against the secular fabric of our society.
6. The bill therefore, seeks to:-

    (i) Prohibit religious conversions which are effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage by making it an offence;

    (ii) Provide greater punishment for such conversion in respect of the Minor, Women, Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(iii) Provide that the onus of proof that the conversion was not effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage lies on the person converting them and the person converted; and

(iv) Provide that every individual converting from one religion to another shall submit to the prescribed authority a declaration that the conversion was not effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage and such authority shall make an inquiry in such cases;

(v) Declare marriages null and void, which were done solely for the purpose of conversion of girls from one religion to another religion, on the complaint of girl or her parents.

7. The Bill seeks to achieve the above objectives.
